पत्रांक -सं०सं०-02/उ०नि०/CMMSECDP-24-01/2016..........

बिहार सरकार

उद्योग निदेशालय, बिहार, पटना

सेवा में,

महालेखाकार (ले० एवं ह०),
बिहार, पटना।

पटना, दिनांक ....

विषयः- मुख्यमंत्री सूक्ष्म एवं लघु उद्योग क्लस्टर विकास योजनांतर्गत लखीसराय राइस मिल कलस्टर प्रा० लि०, लखीसराय को प्रथम किस्त के रूप में ₹82.344/- (बिरासी लाख चौंतीस हजार चार सौ रूपए मात्र) के अनुदान के राशि की निकासी एवं भुगतान की स्वीकृति।

आदेशः- स्वीकृत।

उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है मुख्यमंत्री सूक्ष्म एवं लघु उद्योग क्लस्टर विकास योजनांतर्गत राईस मिल क्लस्टर, लखीसराय के विकास हेतु प्रस्तावित सामान्य सुविधा केन्द्र की स्थापना हेतु तैयार विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (Detailed Project Report) का उद्योग निदेशक की अध्यक्षता में राज्य स्तरीय समिति द्वारा दिनांक-05.02.2016 की बैठक में अनुमोदित किए जाने के आलोक में सर्वश्री राइस मिल क्लस्टर, लखीसराय को स्वीकृत परियोजना लागत ₹914.94 लाख के विरूद्ध 90 प्रतिशत की दर से अनुमान्य अनुदान ₹823.446 लाख का 10 प्रतिशत की दर से प्रथम किस्त के रूप में ₹82.344 लाख (बेरासी लाख चौंतीस हजार चार सौ रूपए मात्र) की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

2. राशि का व्यय स्वीकृत डी०पी०आर० के अनुसार नहीं रहने तथा किसी प्रकार का विचलन किए जाने पर SPV को भुगतान की गयी राशि ब्याज सहित उद्योग विभाग को वापस करना होगा। व्यय में बिहार वित्तीय नियमावली के प्रावधानों का पालन किया जाएगा।

3. महाप्रबंधक, जिला उद्योग केन्द्र, लखीसराय के द्वारा उक्त क्लस्टर के सामान्य सुविधा केन्द्र की स्थापना पर होने वाले व्यय का नियमित अनुश्रवण करेंगे कि कार्य डी०पी०आर० के अनुसार कराया जा रहा है या नहीं? साथ ही बिहार वित्तीय नियमावली के प्रावधानों का पालन किया जा रहा है या नहीं? प्रावधानों का अनुपालन भी सुनिश्चित कराएँगे।

4. उक्त. क्लस्टर के पी० एम० ए० मेसर्स आई० एल० एण्ड एफ० एस०, पटना के द्वारा उक्त क्लस्टर के सामान्य सुविधा केन्द्र की स्थापना के निमित्त कराए जा रहे कार्यो का नियमित अनुश्रवण करेंगे ताकि कार्य डी०पी०आर० के अनुसार बिहार वित्तीय नियमावली के प्रावधानों के अनुरूप हो सके। साथ ही वे उपलब्ध कराई गई राशि के व्यय का उपयोगिता प्रमाण-पत्र महाप्रबंधक, जिला उद्योग केन्द्र, लखीसराय के माध्यम से भेजवाना सुनिश्चित करेंगे।

5. उक्त राशि का व्यय वहन वित्तीय वर्ष 2016-17 में आयोजना व्यय (विस्तृत) में मांग संख्या-23 के अंतर्गत मुख्य शीर्ष-2851-ग्राम तथा लघु उद्योग, उपमुख्यशीर्ष-00-,लघु शीर्ष-104-हस्तशिल्प उद्योग, उपशीर्ष-0101-हस्तशिल्प का विकास, विपत्र कोड-P2851001040101 राज्य योजना स्कीम कोड-IND-5442 विषय शीर्ष 33 01 सब्सिडी मद में उपबंधित एवं आवंटित राशि से की जाएगी।

क्रमशः पृष्ट-2

6. इस राशि के निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी सहायक उद्योग निदेशक (लेखा), उद्योग निदेशालय, बिहार, पटना होंगे तथा नियंत्री पदाधिकारी, उद्योग निदेशक, बिहार, पटना होंगे।

7. इस राशि की निकासी नया सचिवालय कोषागार, विकास भवन, पटना से होगी।

8. इस राशि की निकासी **"पूर्व प्राप्ति रसीद"** पर कोषागार फार्म संख्या 25 पर की जाएगी।

9. इस राशि का भुगतान **लखीसराय राइस मिल कलस्टर प्रा० लि०, लखीसराय** को **डिमाण्ड ड्राफ्ट/ RTGS/NEFT** के माध्यम से की जाएगी।

10. प्रस्ताव में माननीय मंत्री का अनुमोदन प्राप्त है।

ह0/-
उद्योग निदेशक,
बिहार, पटना।

ज्ञापांक-.............. पटना, दिनांक.............

प्रतिलिपिः- कोषागार पदाधिकारी, नया सचिवालय कोषागार, विकास भवन, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह0/-
उद्योग निदेशक,
बिहार, पटना

ज्ञापांक-4590 पटना, दिनांक 29.12.18

प्रतिलिपिः- वित्त विभाग, बिहार, पटना / योजना एवं विकास विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपिः- मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी, उद्योग मित्र, बिहार, पटना/ महाप्रबंधक, जिला उद्योग केन्द्र, लखीसराय को सूचनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपिः- सहायक उद्योग निदेशक (लेखा), उद्योग निदेशालय, बिहार, पटना को दो प्रतियों में / प्रशाखा पदाधिकारी, प्रशाखा-02, एवं प्रशाखा-05, उद्योग निदेशालय, बिहार, पटना/ योजना शाखा, प्रशाखा-01 (सरकार)/ आई० टी० प्रबंधक, उद्योग विभाग, बिहार, पटना/ **लखीसराय राइस मिल कलस्टर प्रा० लि०, छोटकी कवैया, वार्ड नं0-27, लखीसराय-811311**/ आई० एल० एण्ड एफ० एस०, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

29/12

उद्योग निदेशक,
बिहार, पटना